

अंचल कार्यालय, महागामा

केश का प्रकार :- अवैध | संदेहास्पद जमाबंदी

अभिलेख संख्या :- 80/16-17

अपर समाहर्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होंने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री गोपाल चंद्र दास वो अंचल निरीक्षक श्री राजेश चंद्र दास का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा रघुआ थाना नं0 692 गैरमजरुआ खाता नं0 24/2 दाग नं0 32 रकवा 06-10-16 किस्म पारी करी श्री मंगलमोहन रविदास पिता बलराम रविदास साकिन के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री मंगलमोहन रविदास को दिनांक 30/5/16 समय 11:00 AM पुर्वाहन में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

राजा
20/7/16

अंचल अधिकारी,
महागामा।

30/5/16

अभिलेख उपस्थापित। मंगलमोहन रविदास पिता बलराम रविदास के पुत्र गोपाल रविदास उपस्थित। उन्होंने Leht fixation के माध्यम से जाँच की जा रही है। साक्ष्य के रूप में उन्होंने कोई दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि सचुआ नुमि E.C.I द्वारा कार्यवाही की गयी है एवं कर्मचारी को किये जा रहे हैं प्रकरण। जाँच का नोटिश सत्यापन प्रतिवेदन यहाँ लिखें वे इसे समर्पित करें। अभिलेख दिनांक 11/5/16 को करें।

sandha

राजा
20/7/16

30/5/16

10
20/5/16

31/7/2024

अभिलेख उपस्थापित ।
जोडिल निर्गत करें ।

अं.मं.
महागामा


3/7/2024

05.01.2024


अभिलेख उपस्थापित ।

राज्यक उपनिरीक्षक - सह-प्रभारि अंचल निरीक्षक
महागामा से प्रसंगत भूमि का नॉटिफिकेशन प्रतिवेदन के
साथ अभिलेखीय प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका
आवलोकन किया प्रतिवेदनानुसार आवेदन संदेहात्मक
पंजी-11 रैंज के अन्तर्गत सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त
है। वर्तमान में अन्तर्गत भूमि ई.सी.एल.के. ECL क्षेत्र
के अधिग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अभिलेख की कार्यवाही
समाप्त की जाती है।

अस्थापित


अं.मं.
महागामा


अं.मं. अधिकारी,
महागामा